राजस्थान सरकार

कार्यालय जिला मजिस्ट्रेट, भीलवाड़ा

क्रमांकः न्याय/कोरोना/2020/25004 दिनांक 21 नवम्बर, 2020

:: आदेश अन्तर्गत धारा 144 दण्ड प्रक्रिया संहिता ::

यतः अधोहस्ताक्षरकर्ता के ध्यान मे लाया गया है कि भीलवाडा जिले मे कोरोना संक्रमण की गंभीर स्थिति से मानव जीवन एवं स्वास्थ्य को खतरा लगातार बना हुआ है एवं इस खतरे के निवारण एवं बचाव के लिए शीघ्र उपचार करना वांछनीय है।

कोरोना वॉयरस के सक्रमंण के बचाव नियंत्रण एवं मानवीय जीवन की रक्षा/सुरक्षा के मध्यनज़र **मैं शिवप्रसाद एम. नकाते, जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, भीलवाड़ा दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 144** के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए **भीलवाड़ा जिले मे 05 या 05 से अधिक व्यक्तियो के समूह मे इकट्ठा होने पर** निषेधाज्ञा लागू करता हूँ एवं आदेश देता हूँ कि :–

1. भीलवाडा जिले के किसी भी सार्वजनिक स्थल पर पांच या पांच से अधिक व्यक्ति इकठ्ठे नहीं होगे। सार्वजनिक स्थल पर प्रत्येक व्यक्ति मास्क पहनने एवं सामाजिक दूरी बनाये रखने के आज्ञापक आदेश की पालना करेगा।
2. वैवाहिक समारोह मे अधिकतम 100 एवं अन्तिम संस्कार मे अधिकतम 20 व्यक्ति की कोविड–19 प्रोटोकोल की अनुपालना सुनिश्चित करते हुए उपस्थित हो सकेगें। इसके अतिरिक्त किसी व्यक्ति/संस्था द्वारा समस्त सामूहिक गतिविधियो यथा रैली, जुलूस, सभा एवं सार्वजनिक समारोह इत्यादि राजस्थान सरकार गृह (ग्रुप–9) जयपुर के आदेश दिनांक 21.11.2020 मे वर्णित गाईडलाईन के अनुसार सक्षम अधिकारी की अनुमति के अध्यधीन आयोजित किये जा सकेगें।
3. उक्त प्रतिबंध सें निर्वाचन प्रक्रिया, रेलवे स्टेशन, बस स्टेण्ड, चिकित्सा संस्थानो, राजकीय एवं सार्वजनिक कार्यालय तथा विद्यालय एवं महाविद्यालय मे प्रयुक्त होने वाले परीक्षा कक्ष स्थानो को अपवाद स्वरूप मुक्त रखा जाता है।
4. **मैं जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, भीलवाड़ा** जिले के सभी नागरिकों को इस आदेश की पालना करने एवं अवहेलना नहीं करने के निर्देश देता हूँ। यदि कोई व्यक्ति उक्त प्रतिबन्धात्मक आदेशों का उल्लघंन करेगा, तो वह भारतीय दण्ड संहिता की धारा 188, 269, 270 एवं राजस्थान महामारी अध्यादेश 2020, आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 एवं अन्य सु–संगत विधिक प्रावधानो के अर्न्तगत अभियोजित किया जा सकेगा।
5. चूंकि विद्यमान परिस्थितियों में इस आदेश की व्यक्तिशः पालना कराया जाना संभव नहीं हैं। अतः एक पक्षीय आदेश जारी किया जाकर सर्व साधारण की जानकारी हेतु भीलवाड़ा जिले की सम्पूर्ण सीमा क्षेत्र (शहरी एवं ग्रामीण) मे मुख्य–मुख्य स्थानों पर इस आदेश को चस्पा कर, ध्वनि प्रसार यंत्रों, इलेक्ट्रोनिक मीडिया एवं समाचार पत्रो के माध्यम से प्रचार–प्रसार कर नागरिकों को सूचित किया जावे।
6. यह आदेश **आज दिनांक 21 नवम्बर, 2020 से 20 जनवरी, 2021 तक भीलवाड़ा जिले की सम्पूर्ण राजस्व सीमा क्षेत्र (शहरी एवं ग्रामीण) में** प्रभावी रहेगा।

—2

जिला मजिस्ट्रेट
भीलवाड़ा (राज.)

7. यह आदेश आज दिनांक 21 नवम्बर, 2020 को मेरे हस्ताक्षर व कार्यालय की मुद्रा से जारी किया गया हैं।

(शिवप्रसाद एम. नकाते)
जिला मजिस्ट्रेट,
भीलवाडा

प्रतिलिपि – सूचनार्थ :–

01. निजि सचिव, अति. मुख्य सचिव, गृह विभाग राजस्थान, जयपुर
02. निजि सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, राज0, जयपुर
03. संभागीय आयुक्त, अजमेर
04. महानिरीक्षक, पुलिस रेंज, अजमेर
05. समस्त जिला मजिस्ट्रेट, राजस्थान

प्रतिलिपि:– निम्न को आवश्यक कार्यवाही हेतु :–

06. जिला पुलिस अधीक्षक, भीलवाडा को प्रेषित कर लेख है कि उक्त आदेश संबंधित समस्त पुलिस अधिकारियों को पालना सुनिश्चित करने हेतु भेजा जावें।
07. अति0 जिला मजिस्ट्रेट, (प्रशासन/शहर) भीलवाडा
08. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद, भीलवाडा
09. समस्त उपखण्ड मजिस्ट्रेट, जिला भीलवाड़ा
10. समस्त उप पुलिस अधीक्षक, जिला भीलवाडा
11. समस्त जिला स्तरीय अधिकारी, जिला भीलवाड़ा को आदेश की पालना सुनिश्चित करने हेतु।
12. समस्त तहसीलदार एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट, जिला भीलवाड़ा
13. समस्त विकास अधिकारी पंचायत समिति, जिला भीलवाडा को भेजकर लेख है कि धार्मिक एवं सार्वजनिक स्थलो पर लाउड स्पीकर के माध्यम से लोगो को एकत्र नही होने की सलाह देने की व्यवस्था की जावे।
14. सहायक निदेशक, सूचना एवं जन सम्पर्क कार्यालय, भीलवाडा को व्यापक प्रचार प्रसार हेतु।
15. आयुक्त, नगर परिषद, भीलवाड़ा/समस्त अधिशाषी अधिकारी, नगर पालिका, जिला भीलवाड़ा को भेजकर लेख है कि धार्मिक एवं सार्वजनिक स्थलो पर लाउड स्पीकर के माध्यम से लोगो को एकत्र नही होने की सलाह देने की व्यवस्था की जावे।
16. अति0 निजी सचिव, जिला कलक्टर, भीलवाड़ा
17. सम्बन्धित थानाधिकारी जिला भीलवाड़ा को प्रेषित कर लेख है कि ध्वनि प्रसारण यंत्रों के माध्यम से आदेश को जन साधारण को सूचित किये जाने हेतु। (द्वारा–जिला पुलिस अधीक्षक, भीलवाड़ा)
18. नोटिस बोर्ड, कार्यालय जिला कलक्टर/पुलिस अधीक्षक/समस्त उपखण्ड/समस्त तहसील

जिला मजिस्ट्रेट,
भीलवाडा